संख्या-22/2015/1012 ई-2/तेरह-2015-96/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 जून,2015

विषय:-जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील-बुढाना की सीमाओं के परिवर्तन के फलस्वरूप देशी शराब दुकान-भभीसा एवं भारसी को एम0जी0क्यू0 सहित शामली जनपद में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-17/दस-लाई0-13/जी 12ग/2014-15/मु0नगर, दिनांक 29-4-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29-4-2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना सं0-1476/एक-5-2014-80/2013, दिनांक 30-9-2014 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील-बुढाना की सीमाओं को परिवर्तित/अपवर्जित करके 10 राजस्व ग्रामों को जनपद शामली की तहसील-शामली में अन्तरित किये जाने के उपरान्त दोनों देशी शराब दुकान-भभीसा एवं भारसी के आबकारी अनुज्ञापनों को जनपद शामली में उनमें विहित एम0जी0क्यू0 के साथ सम्मिलित करने हेतु एतद्द्वारा शासन की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/asd/intra